Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

अनिल शर्मा वगै0 बनाम लैण्ड होल्डर

किस्म मुकदमा.................225 आर टी एक्ट..........64/2024...अपील संख्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	अपील श्री सतीश शर्मा एड0 ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 55/2024 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दिनांक 6.5.2024 को एक पक्षीय बहस सुनी जाकर विवादित आराजीयात ग्राम खानपुर बडौदा के ख0न0 646 रकबा 1.62 है0, ख0न0 645 रकबा 2.13 है0 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक यथावत बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमे अप्रार्थी संख्या 13 शिवकुमार पुत्र गंगासहाय जाति ब्राहम्ण निवासी खानपुर बडौदा की मृत्यु दिनांक 25.12.2021 को हो चुकी है जो पत्रावली मे संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व अंतरिम आदेश पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 55/24 मे पारित आदेश दिनांक 6.5.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे मृतक शिवकुमार के जायज वारिसान के संबंध मे कायम मुकाम की कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त प्रकरण मे अंतिम निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के य[illegible] होना सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:00 IST
Reason: SelfAttested